



PBRI निगरानी १५८०/भु-रा/२०१७/२०९३

॥ श्री ॥

निगरानी प्रकरण क्र. : ...../2017  
प्रस्तुति दिनांक : 05/07/2017

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर मध्यप्रदेश  
ग्वालियर के न्यायालय में

गौरव मदान पिता स्व.श्री जगदीश मदान  
निवासी- 123-124, बैकुंठधाम कॉलोनी,  
साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.)

.....प्रार्थी

विरुद्ध

1. राजकुमार मदान पिता स्व.श्री जगदीश मदान
2. श्रीमती नीलम मदान पति स्व.श्री जगदीश मदान  
दोनों निवासी- 123-124, बैकुंठधाम कॉलोनी,  
साकेत नगर, इन्दौर (म.प्र.) .....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राऊ क्षेत्र जिला  
इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 21/अप्रैल/2014-15 में दिनांक  
30/06/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी  
निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है।

यह कि, अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा धारा 44 (1) म.प्र.  
भु-राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय की  
अधिकारिता में उक्त आदेश पारित किया गया है तथा उक्त आदेश  
के विरुद्ध द्वितीय अपील श्रीमान अपर आयुक्त महोदय के  
न्यायालय में प्रस्तुत की जाना है। अपर आयुक्त महोदय अवकाश  
पर होने के कारण तथा प्रकरण में रथगन आवेदन पर आदेश प्राप्त  
करना आवश्यक होने से यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष  
केवल रथगन आवेदन प्राप्ति हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

!! प्रकरण के तथ्य !!

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसील  
न्यायालय के द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर पंजीकृत दान पत्र के आधार  
पर प्रार्थी का नामांतरण स्वीकृत किया है। उक्त नामांतरण आदेश  
को प्रतिप्रार्थीगण के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष चुनौती  
दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा तहसील न्यायालय के  
द्वारा पंजीकृत दान पत्र के आधार पर स्वीकृत नामांतरण आदेश को  
प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30/06/2017 के द्वारा निरस्त किया  
जाना आवेदित किये जाने के कारण यह निगरानी इस न्यायालय  
के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

अविरत.....  
2

## न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—गवालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी / इंदौर / भू.रा. / 2017 / 2093

स्थाने तथा दिनांक	कायवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-7-2017	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.एन. स्वर्णकार, अभिभाषक उपस्थित  </p> <p>ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया   अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्तिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है, जिसके विरुद्ध निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है   अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है  </p> <p><i>(मनोज गोयल)</i> अध्यक्ष</p>	